e-ISSN:2582 - 7219

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Volume 4, Issue 9, September 2021

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 5.928

International Iournal Of Multidisciplinary Research In Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 9, September 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0409018 |

आज़ादी और हिंदी कविता

Dr. Rita Pandey

Associate Professor, Dept. of Hindi, V.S.S.D. College, Kanpur, Uttar Pradesh, India

सारांश

आज़ादी का शाब्दिक अर्थ ....पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना है ......अर्थात किसी भी रूप में आप पर किसी का नियंत्रण न हो. आज़ादी का अर्थ है............ कोई भी आप के जीवन में हस्तक्षेप ना करे. लेकिन हमारे जीवन में ऐसी आज़ादी किसी काम की नहीं है .... कारण.........इससे मानव की समुचित विकास की संभावना नहीं बनती है.

स्वाभाविक रूप से जो हमारे अधिकार हैं ....उनकी स्वंत्रता हमें मिलनी चाहिए. एक बच्चे का अपने माता-पिता का प्यार पाना उसकी अधिकारिक स्वंत्रता है. भूख लगने पर बच्चे का रोना .... स्वाभाविक लक्षण है..........यह कृत्य उसकी स्वंत्रता है. बच्चे की माता उसके इस कृत्य पर उसको भोजन उपलब्ध कराती है.........यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है........और हम लोग भी इसे अन्यथा नहीं लेते है.

लेकिन यदि बच्चे बड़े होने पर उपद्रव करते हैं ......तो हम उनको ऐसा करने की आज़ादी नहीं देते हैं........हम उनकी इस स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप करते हैं........यह अनुशासन है ..... यह मानव के चारित्रिक उत्थान एवं सामाजिक प्रक्रिया के लिए ....आवश्यक तत्त्व है.

इसी प्रकार सरकार की भी यह जिम्मेदारी है कि.............. वह नागरिकों के विकास एवं सुविधा हेतु प्रयास करे.......... समाज के हर वर्ग को स्वस्थ एवं स्वतंत्र माहौल मिले ताकि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके ....यही सच्ची स्वतंत्रता है.

प्रत्येक राष्ट्र का आर्थिक स्तर अलग अलग होता है.........अतः सुख एवं समृधि की एक सीमा हो सकती है..........लेकिन अधिकारों एवं कर्तव्यों के मिश्रण से ....स्वास्थ्य और चरित्र की दृष्टि से ....प्रत्येक व्यक्ति को मजबूत बनाया जा सकता है. कम से कम इतना अधिकार तो दिया जा सकता है...........कि व्यक्ति भयमुक्त वातावरण में अपनी रूचि का काम कर जीवन यापन कर सके.

लेकिन हमें भी अधिकारों के साथ साथ .... कर्त्तव्य पालन के लिए तैयार होना चाहिए .... क्यूंकि पुरे राष्ट्र के विकास .... राष्ट्र के लोगों कि सुविधा........... विश्व में देश को सिरमौर बनाने .... के लिए यह आवश्यक है....... कर्तव्य और अधिकार ......एक दूसरे के पूरक हैं....... आज़ादी का अर्थ ऊच्रिन्ख्लता या मनमानी नहीं है.

१५ अगस्त .... स्वतंत्रता दिवस .... लेकिन .... क्या हम वाकई स्वतंत्र हैं. यदि एक भारतीय से पूछा जाये .... तो उत्तर नकारात्मक होने की संभावना अधिक है .... स्वतंत्रता अर्थात.......... शारीरिक .... मानसिक ..... बौधिक ..... धार्मिक .... शेक्षणिक .... प्रशासनिक .... न्यायिक .... सामरिक .... राजनैतिक स्वतंत्रता.

स्वतंत्र प्रशासनिक व्यवस्था .... न्याय प्रणाली .... एवं शिक्षा पद्यति .... राष्ट्र की प्रगति एवं स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता है...... लेकिन हम आज भी इस दिशा में कुछ भी कर पाने में असमर्थ रहे हैं .... और आज भी अंग्रेजो के बनाये गए नियमो एवं पद्यतियों का पालन करने पर विवश हैं......... यह एक दुख एवं चिंता का विषय है .... क्योंकि अंग्रेजों द्वारा बनाये गए नियम उनके स्वार्थ सिद्धि करने के लिए बनाये गए थे. .... यही कारण है हमारे देश में अस्त व्यस्त सामाजिक जीवन का.

देश व्यवस्था के हर क्षेत्र में असफल नज़र आ रहा है............... चाहे सीमाओं का मामला हो .... चाहे अंदरूनी आतंकवाद........नक्सलवाद.........क्षेत्रवाद की समस्या........ जातिगत समीकरण .... भूखमरी .... गरीबी ...... न्याय .... या ..... कोई भी समस्या हो .... हम प्रशासनिक रूप से विफल साबित हो चुके हैं.

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 9, September 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0409018 |

एक प्रशासनिक रूप से विफल राष्ट्र में स्वतंत्र होना कोई मायने नहीं रखता..... चाहे ऐसे राष्ट्र में आपको कितनी भी आज़ादी क्यूँ न मिले आप कुछ भी कर पाने में असमर्थ ही साबित होंगे ..... इसलिए जरुरत है प्रशासनिक रूप से सफल ढांचा तैयार करने की ..... तभी हम स्वाभिमान के साथ उन्नति कर पाएंगे और तभी हमें वास्तविक आज़ादी प्राप्त हो पायगी ..... आइये ..... वास्तविक आज़ादी के लिए एक बार फिर ..... आज़ादी की नई जंग में भागीदार बने..... जय हिंद.

परिचय

जैसे ही स्वतंत्रता दिवस
का दिन आया।
लाल जी का दिल गर्व से
भर आया।

तब ही पीछे से आवाज आयी
अजी सुनते हो
यूँ टीवी में क्या देखते हो।
लाल जी बोले प्रिय
देख रहा हूँ आजादी।[1,2]

बीवी झल्लायी
बंद करो बकवास
हो गयी है शादी
चलो जाओ सब्जी लेकर आओ
बनाकर खाओ और खिलाओ

लाल जी चौंके
बोले प्राण-प्यारी
ऐसा क्या हो गया आज।
प्यारी बोली आजादी दिवस
आजादी का जश्न मनाएंगे
आप बनाएंगे हम खाएंगे

तो लाल जी बोले मेरे जश्न का क्या
बीवी बोली लो कर लो बात
ये तो फेरे के साथ ही हो गया स्वाहा
इसे ही तो कहते हैं विवाह

लाल जी बोले किन्तु प्रिय
विवाह में तो होती है
अपनी-अपनी जिम्मेदारी
ये तो तुम कर रही हो गद्दारी
आज जब पूरा देश आजादी
की साँसे ले रहा है
और तुम साँसे फुला रही हो।

बीवी बोली शट-अप
बंद करो बक-बक

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 9, September 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0409018 |

सीधी सीधी बात सुनो
बेकार में गुलाम मत बनो।
पत्नी की सेवा को
पति का धर्म कहते हैं।
मानवता के नाते
कर्म कहते हैं।
गृहस्थ जीवन के अनुसार
प्रेम कहते हैं।
और तुम्हारे जैसे कामचोर पति
इसे भ्रम कहते हैं।[3,4]

कहाँ गया तुम्हारा ज्ञान
पत्नी पाकर भी रह गए अज्ञान
शादीशुदा हो या नादान
अगर शादी होती गुलामी
तो पति भी देता पत्नी को
राष्ट्रपति के समान
21 तोपों की सलामी

अब लाल जी के नेत्र
आजादी का वास्तविक
अर्थ जान गए थे।
कोई नहीं इस जहाँ में
आजाद यह मान चुके थे।
आजादी सिर्फ एक अफवाह है।
मत मनाओ जश्न
जिसने भी किया विवाह है।

विचार – विमर्श

भारत की स्वतंत्रता की 74वीं सालगिरह पर केंद्र सरकार की ओर से लगातार भारत में सुख और संपन्नता की तस्वीर पेश की जा रही है लेकिन देश अभी भी गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के चंगुल से पूरी तरह बाहर नहीं निकला है. भारत की स्वतंत्रता की 74वीं सालगिरह पर केंद्र सरकार ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' अभियान शुरू किया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बारे में एक कार्यक्रम में कहा, "आजादी की 75वीं सालगिरह ऐसी होगी जिसमें सनातन भारत के गौरव की झलक भी हो और आधुनिक भारत की चमक भी हो."[16]
इस मौके पर सरकार की ओर से लगातार भारत में सुख-संपन्नता और ऐश्वर्य की तस्वीर पेश की जा रही है लेकिन फिलहाल यह देश गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के अद्वितीय स्तर का सामना कर रहा है. यहां लोकतंत्र, प्रेस की स्वतंत्रता, नागरिक अधिकार और अर्थव्यवस्था सभी जबरदस्त दबाव का सामना कर रहे हैं.[5,6]
सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे कहते हैं, "भारतीय लोकतंत्र का विकास तीन चरणों में हुआ है. पहले चरण में यानि इंदिरा गांधी के दौर तक लोगों को सिर्फ वोट का अधिकार था, राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी नहीं थी. दूसरे चरण में राजनीति के विकेंद्रीकरण और आरक्षण आदि के जरिए उसका आधार विकसित हुआ. तीसरे चरण में आशा थी कि उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं बल्कि पिछले 17 सालों में यह और खराब हुई है. यह भारतीय लोकतंत्र का विशिष्ट अंतर्विरोध है."
इस लेख में हमने वर्तमान भारत को 7 पैमानों पर मापकर जानने की कोशिश की है कि क्या आजाद भारत ने 74 सालों में जो हासिल किया, वह पर्याप्त है.
समावेशी नहीं बन सकी राजनीति

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 9, September 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0409018 |

अब तक भारत में राजनीति समावेशी नहीं बन सकी है. भारत की जनसंख्या में करीब 14 फीसदी हिस्सा रखने वाले मुस्लिम वर्तमान लोकसभा में मात्र 4.7 फीसदी हैं. वहीं पहली लोकसभा में जहां महिला सदस्य 4.4 फीसदी थीं. तब से यह आंकड़ा बढ़कर मात्र 11.8 फीसदी हुआ है. इसी तरह 1952 में राज्यसभा में महिला सदस्य 7.5 फीसदी थीं, जो 2021 तक बढ़कर सिर्फ 11.6 फीसदी हो सकी हैं.[17,18]

यूं तो भारत में कई महिलाएं बड़े राजनीतिक पद संभाल चुकी हैं लेकिन लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने वाला महिला आरक्षण बिल साल 2010 में राज्यसभा में पास होने के बाद से ही लटका हुआ है. जाहिर सी बात है 74 सालों में आधी आबादी को देश के लिए नीति निर्माण प्रक्रिया में शामिल करने में भारत बुरी तरह से फेल रहा है. अपराधियों का नेता बन जाना भी यहां आम रहा है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान लोकसभा सदस्यों में से 43% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं.[7,8]

नागरिक स्वतंत्रता पर बड़ा खतरा

फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट में भारत की राजनीतिक स्थिति को 'आंशिक रूप से स्वतंत्र' बताया गया है. भारत की स्थिति में गिरावट की वजह मीडिया की स्वतंत्रता में कमी, संकीर्ण हिंदूवादी हितों का उभार, इंटरनेट स्वतंत्रता में गिरावट, वायरस के विरुद्ध समुदाय विशेष को निशाना बनाया जाना, प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई और धर्म परिवर्तन के नए कानूनों को बताया गया है. पेगासस के जरिए समाज के प्रमुख लोगों की जासूसी कराने का आरोप भी नागरिक स्वतंत्रता की खराब स्थिति दिखाता है.[18,19]

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम का एक फ्रेंच एनजीओ 'वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स' जारी करता है. इस लिस्ट में साल 2021 में भारत को 180 देशों की लिस्ट में 142वें स्थान पर रखा गया है. मीडिया को नियंत्रित करने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल, मानहानि, देशद्रोह और अवमानना जैसे साधनों का इस्तेमाल इस खराब रैंकिंग की वजह है. जानकार कहते हैं कि पत्रकारों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी देशद्रोह के कानून का खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय लोकतंत्र की छवि लगातार खराब हो रही है.

न्यायपालिका की बिगड़ती स्थिति

मुंबई हाईकोर्ट के जज बीएच लोया की संदिग्ध मौत ने भारत में न्यायपालिका की छवि को खराब किया था. भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की ओर से साल 2018 में एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भी इस मामले पर सवाल उठाए गए थे. मुख्य न्यायाधीश रहे रंजन गोगोई को कार्यकाल समाप्त होते ही राज्यसभा का सदस्य बनाए जाने के बाद एक बार फिर भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठे थे. हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता स्टैन स्वामी की मौत के मामले ने एक बार फिर न्यायपालिका पर सवाल खड़े किए.[9,10]

अभय कुमार दुबे के मुताबिक न्यायपालिका में आई गड़बड़ी के लिए भी सरकार ही जिम्मेदार है. वह कहते हैं, "लोकतंत्र के तीन अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका. राजनीतिक सत्ता विधायिका और न्यायपालिका के पास नहीं होती सिर्फ कार्यपालिका के पास होती है. फिलहाल कार्यपालिका बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई है. न्यायपालिका की गड़बड़ी के लिए भी वही जिम्मेदार है. ये गड़बड़ियां दूर करनी हैं तो कार्यपालिका को संयमित रखना होगा."[20,21]

मजबूत विपक्ष की कमी

भारत की हिंदूवादी पार्टी बीजेपी पर राज्यों में सरकार बनाने के लिए विपक्षी विधायकों को खरीदने के कई आरोप लगे हैं. इसे लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह का मजाक भी उड़ाया जाता है. भारत के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और किसी राज्य में चुनाव से पहले वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेताओं का पाला बदल कर बीजेपी में शामिल हो जाना अब आम बात हो चली है.

परिणाम

एक ओर जहां सत्ताधारी बीजेपी पर सरकारी संस्थाओं के जरिए विपक्षी नेताओं पर शिकंजा कसने का आरोप लगाया जाता है, वहीं विपक्षी दल भी ऐतिहासिक रूप से कमजोर हुए हैं. भारत के ज्यादातर बड़े राज्यों में फिलहाल बीजेपी सरकार है. कुछ राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां सत्ता में हैं लेकिन वे अभी बीजेपी का राष्ट्रीय विकल्प नहीं मानी जा सकतीं. यही वजह है कि भारत में पिछले दिनों हुए ज्यादातर आंदोलन नागरिकों ने किए हैं. राजनीतिक दलों की ओर से पिछले कई सालों से कोई उल्लेखनीय आंदोलन नहीं हो सका है. प्रोफेसर अभय कुमार दुबे कहते हैं, "इसमें सरकार की भूमिका भी है. मीडिया जैसे उपकरणों का प्रयोग कर वह विपक्ष को अवैध बना देती है."[11,12]

कानून के शासन में कमियां

जानकारों के मुताबिक आजादी के दौर से इस मोर्चे पर परिस्थितियां ज्यादा नहीं बदली हैं. आजादी से तुरंत पहले भारत ने बंगाल में जबरदस्त राजनीतिक हिंसा का दौर देखा था. पश्चिम बंगाल में हाल ही में समाप्त हुए विधानसभा चुनावों के बाद भी हिंसा का

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 9, September 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0409018 |

जबरदस्त दौर दिखा. भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस दौरान हुए 'हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों' की सीबीआई जांच की सिफारिश की है.

भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा के ऐसे दर्जनों मामले गिनाए जा सकते हैं, जिसमें आरोपियों को छोड़ दिया गया है. हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता के राज्य मंत्री रामदास अठावले ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि 2019 में एक साल पहले के मुकाबले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ हिंसा के मामलों में 11.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और इन मामलों में आरोपियों के सजा पाने की दर भी कम बनी हुई है. यही हाल गरीबों का भी है. खुद सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी स्वीकारोक्ति कर चुका है कि गरीबों और अमीरों के लिए न्याय प्रणाली अलग-अलग तरीके से काम करती है.[23,22]

भेदभाव के मारे नागरिक, कैसे निभाएं कर्तव्य

जानकार कहते हैं कि नागरिक कहते ही लगता है कि जैसे भारत में सभी नागरिक सामान्य हैं लेकिन ऐसा नहीं है. ऐसे में कौन राज्य के संसाधनों का अच्छी तरह फायदा उठा सकता है और कौन कर्तव्य निभा सकता है, यह उनकी परिस्थिति पर निर्भर करता है. इसके लिए अभय कुमार दुबे उदाहरण देते हैं अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) का. वह कहते हैं, "आर्थिक रूप से मजबूत ओबीसी जातियां इसमें आगे रहती हैं और किसानी का काम करने वाली ओबीसी जातियां पिछड़ जाती हैं जबकि दोनों का हिस्सा समुदाय में करीब आधा-आधा है."[13,14]

उनके मुताबिक इसके लिए भी सरकार ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है क्योंकि वह देश की सबसे बड़ी एजेंसी है. गलत नीतियों के चलते ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य संसाधनों के मामले में नागरिकों के बीच खाई खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है. इन सबके बावजूद सरकार चुनाव जीतने की टेक्नोलॉजी इस तरह विकसित कर चुकी है कि वह इन कारकों का इस्तेमाल भी अपने उद्देश्य के लिए कर लेती है.[15,16]

निष्कर्ष

समाज में सहिष्णुता और सहयोग मौजूद

भारत में नागरिक समुदायों के बीच सहिष्णुता, सहयोग और समझौते की भावना लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है. देश में आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जिनमें मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोगों से 'जय श्री राम' जैसे धार्मिक नारे लगवाने और हिंसा करने की घटनाएं दर्ज होती हैं. जानकार कहते हैं कि चुनावों के बीच की राजनीति इसके लिए जिम्मेदार होती है. भारत में अब समुदायों के बीच नफरत को राजनीतिक गोलबंदी का तरीका बना लिया गया है.[24,25]

अभय कुमार दुबे कहते हैं, "समाज का इससे कोई लेना-देना नहीं है. यह सामाजिक असामाजिक तत्वों का काम है. यह नारे लगवाने वाले राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले कट्टरपंथी तत्व हैं. अगर सामाजिक बदलाव आ गया होता और पूरे देश में कट्टरपंथ की लहर चल गई होती तो यह घटनाएं पश्चिम बंगाल और अन्य गैर-बीजेपी शासित राज्यों में भी हो रही होतीं. दरअसल अभी ये सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि इन्हें अंजाम देने वाले जानते हैं कि वे जिस राज्य में हैं, वहां वे पुलिस और न्यायपालिका की कार्रवाई से बच जाएंगे."[26]

संदर्भ

1) एम्स्टुट्ज़, एंड्रयू। "समीक्षा निबंध: आधुनिक दक्षिण एशिया में क्रांतिकारियों के वैकल्पिक इतिहास: संदर्भ, कालक्रम और अभिलेखागार।" इंडिया रिव्यू 18.3 2002
2) बोस, निर्मल (अक्टूबर-दिसंबर 1985)। "सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस"। इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस । 46 (4): 438-450। जेएसटीओआर 41855198 ।
3) ब्राउन, जाइल्स (अगस्त 1948)। "द हिंदू कॉन्सपिरेसी, 1914-1917"। प्रशांत ऐतिहासिक समीक्षा । 17 (3): 299-310. डोई : 10.2307/3634258 । जेएसटीओआर 3634258 ।
4) चंद्रा, बिपन ; मुखर्जी, मृदुला; मुखर्जी, आदित्य; महाजन, सुचेता; पणिक्कर, केएन (1989)। स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष । नई दिल्ली: पेंगुइन बुक्स । पी। 600. आईएसबीएन 978-0-14-010781-4.
5) चंद्रा, बिपन (2008)। आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता । हर-आनंद। पीपी। 140-। आईएसबीएन 978-81-241-1416-2.
6) कोलेट, निगेल (2005). अमृतसर का कसाई: जनरल रेजिनाल्ड डायर । हैम्बलडन कॉन्टिनम। आईएसबीएन 978-1-85285-457-7.
7) डेविड, शाऊल (2002)। भारतीय विद्रोह: 1857 । वाइकिंग। पी। 122. आईएसबीएन 978-0-670-91137-0.
8) फिशर-टाइन, हेराल्ड ; त्सचुरेनेव, जाना, एड। (2014)। ए हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स इन मॉडर्न साउथ एशिया: इंटॉक्सिकेटिंग अफेयर्स । टेलर और फ्रांसिस। पीपी 255-257।
9) घोष, दुर्बा। जेंटलमैनली टेररिस्ट्स: पॉलिटिकल वायलेंस एंड द कोलोनियल स्टेट इन इंडिया, 1919-1947 (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2017)

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 9, September 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0409018 |

10) गुप्ता, अमित कुमार (सितंबर-अक्टूबर 1997)। "मौत को धता बताते हुए: भारत में राष्ट्रवादी क्रांतिवाद, 1897-1938"। सामाजिक वैज्ञानिक । 25 (9/10): 3-27. डोई : 10.2307/3517678 । जेएसटीओआर 3517678 ।
11) हीह्स, पीटर (1998)। भारत का स्वतंत्रता संग्राम: एक संक्षिप्त इतिहास । दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. पी। 199. आईएसबीएन 978-0-19-562798-5.
12) हीह्स, पीटर (2008)। श्री अरबिंदो का जीवन । कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस। आईएसबीएन 978-0-231-14098-0.
13) हूवर, कार्ल (मई 1985)। "द हिंदू कॉन्सपिरेसी इन कैलिफोर्निया, 1913-1918"। जर्मन अध्ययन की समीक्षा । 8 (2): 245-261। डोई : 10.2307/1428642 । जेएसटीओआर 1428642 ।
14) हॉपकिर्क, पीटर (1994)। कॉन्स्टेंटिनोप के पूर्व में गुप्त सेवा पर । जॉन मरे। आईएसबीएन 978-0-7195-5017-1.
15) जलाल, आयशा (1994)। एकमात्र प्रवक्ता: जिन्ना, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग । कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। आईएसबीएन 978-0-521-45850-4.
16) लाहिड़ी, शोम्पा (2000)। ब्रिटेन में भारतीय: एंग्लो-इंडियन एनकाउंटर्स, रेस एंड आइडेंटिटी, 1880-1930 । मनोविज्ञान प्रेस। आईएसबीएन 978-0-7146-4986-3.
17) लॉयड, निक (2011)। द अमृतसर नरसंहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ वन फेटफुल डे । आईबी टॉरिस। आईएसबीएन 978-1-84885-723-0.
18) मैकलीन, काम। ए रिवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ इंटरवार इंडिया: वायलेंस, इमेज, वॉयस एंड टेक्स्ट (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2015।)
19) मजूमदार, विमानबिहारी (1966)। भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद और इसकी सामाजिक-धार्मिक पृष्ठभूमि (1897-1917) । सामान्य प्रिंटर और प्रकाशक। ओसीएलसी 8793353 ।
20) मजूमदार, रमेश सी (1975)। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास । वॉल्यूम। द्वितीय. फ़िरमा केएल मुखोपाध्याय आईएसबीएन 978-81-7102-099-7.
21) मित्रा, सुब्रत के. (जुलाई 1997)। "कश्मीर के प्रति नेहरू की नीति: राजनीति को फिर से वापस लाना"। जर्नल ऑफ़ कॉमनवेल्थ एंड कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स । 35 (2): 55-74. डोई : 10.1080/14662049708447745 ।
22) मुखर्जी, पृथ्वीेंद्र (2010)। लेस रैसीन्स इंटेलेक्ट्यूएल्स डू मौवेमेंट डी'इंडेपेंडेंस डी ल'इंडे (1893-1918) । संस्करण कोडेक्स। आईएसबीएन 978-2-918783-02-2.
23) पटेल, हितेंद्र (2008)। खुदीराम बोस: क्रांतिकारी असाधारण । नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सरकार। भारत की। आईएसबीएन 978-81-230-2278-9.
24) प्लोमैन, मैथ्यू (शरद 2003)। "आयरिश रिपब्लिकन और प्रथम विश्व युद्ध की भारत-जर्मन साजिश"। नई हाइबरनिया समीक्षा । 7 (3): 81-105। डोई : 10.1353/nhr.2003.0069 । S2CID 144632198 ।
25) पॉपपवेल, रिचर्ड जेम्स (1995)। इंटेलिजेंस एंड इंपीरियल डिफेंस: ब्रिटिश इंटेलिजेंस एंड द डिफेंस ऑफ द इंडियन एम्पायर, 1904-1924 । लंदन, इंग्लैंड: फ्रैंक कैस। आईएसबीएन 978-0-7146-4580-3.
26) पुनियानी, राम (2005). धर्म, शक्ति और हिंसा: समकालीन समय में राजनीति की अभिव्यक्ति । सेज प्रकाशन। पीपी 134- । आईएसबीएन 978-0-7619-3338-0.

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor
Impact Factor: 5.928

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

9710 583 466 9710 583 466 ijmrset@gmail.com

www.ijmrset.com